न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/2017

1. जीत कुमार
2. अजय कुमार

पुत्रगण कृष्णलाल जाति ओड राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

बनाम

1. घनश्यामदास पुत्र ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर।
2. माडोदेवी पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्राज पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कालूराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पंकज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. दीप्ति पत्नी मनोज कुमार जाति अरोडा निवासी कर्मचारी कॉलोनी यू.आई.टी. रोड श्रीगंगानगर।
7. उषा वधवा पत्नी कृष्ण कुमार जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. परमेश्वरी देवी पुत्री माया देवी
9. अमरोबाई पुत्री माया देवी

जाति रायसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

10. शेरसिंह पुत्र रंगासिंह
11. शमशेरसिंह पुत्र रंगासिंह

जाति रायसिख निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12. पंकज कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. गुरसेवक सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जट सिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

31/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

14. प्रताप सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जट सिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 24.06.2017

उपस्थित–

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 3, 4, 10

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण घनश्यामदास आदि द्वारा एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि चक 1 जे बडा के मु.नं. 30, 36, 37, 41, 49, 50, 51 तथा 58 में उक्त भूमि में आने–जाने हेतु मुरब्बा नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 16, 17 व मु.नं. 34 के कि.नं. 3, 9, 12, 20 व 21 में पिछले 40–50 वर्षों से रास्ता चल रहा है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने की कोशिश में है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 ने प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 4 व 5 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मु.नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 16, 17 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत यदि किया जाता है तो इस भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को भूमि दिलायी जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 24.06.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए मु.नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 14, 17, 23 एवं मु.नं. 34 के कि.नं. 3, 9, 12, 20, 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया एवं मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी.

31/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की दर से दुगनी राशि दिलाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने मु.नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 16, 17 में रास्ता की मांग की थी जबकि अधी. न्यायालय ने मु.नं. 34 के कि.नं. 5, 6, 14 ,17, 23 में स्वीकृत किया है जबकि कि.नं. 14 व 23 में कोई रास्ता की मांग नहीं की गई थी। अधी. न्यायालय के समक्ष तीन प्रकरण विचाराधीन थे। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था फिर भी अधी. न्यायालय ने रिकार्ड का सही विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में रास्ता स्वीकृति की सहमति दी थी। अतः अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अधी. न्यायालय ने उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करते हुए रास्ता की आवश्यकता को दृष्टिगत रख रास्ता स्वीकार किया है जिसमें कोई भूल नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.06.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पों. को अपनी खातेदारी भूमि जाने के लिये अपीलांट की क्रयशुदा कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के विवेचन में अंकित किया है कि रेस्पों. को अपनी कृषि भूमि चक 1 जे बडा के खाता सं. 37/30 मु.नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 14, 17, 23 एवं मु.

31/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नं. 34 के कि.नं. 3, 9, 12, 20, 21 में रास्ता स्वीकृति हेतु मौके पर जो रास्ता चाहा गया है उसके अतिरिक्त रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है बाबत अपीलांट्स contrary तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहे। अतः राज. काश्त. अधि. 1955 की धारा 251ए की क्रियान्विति हेतु राज.काश्त. (सरकारी)संशोधन नियम 2012 के नियम 69 (i)(ii) के आज्ञापक प्रावधानुसार स्वीकृत किया गया है। सन्दर्भ विधि की Bare reading है कि 69. Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an-officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall he decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

प्रकरण हाजा में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा अग्रेषित होकर अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जो रास्ता स्वीकृति का आधार है तथा रास्ता स्वीकृति बाबत मुआवजा प्रावधान सन्दर्भ नियम 70 का उल्लेख आदेश के क्रियात्मक हिस्से में किया गया है यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 1 जे बडा के खाता संख्या 37/30 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 14, 17, 23 एवम् मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 9, 12, 20, 21 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जाने के उपरांत राजस्व अभिलेख में रास्ता का

31/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपने स्तर पर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेंगें।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर